

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(IRRIGATION BRANCH)

Notification

The 3rd April, 2007

No. S.O. 30/H.A. 30/1974/S. 65/2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (Act 29 of 1974), and with reference to Haryana Government, Public Works Department (Irrigation Branch), notification No. S.O. 107/H.A. 29/1974/S. 65/2006, dated the 14th November, 2006, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2007.
2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2006.
3. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, in rule 50, in sub-rule (1), for the words "three percent," the words "ten percent" shall be substituted.

R. N. PRASHER,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana, Irrigation Department.

हरियाणा सरकार
लोक निर्माण विभाग
(सिंचाई शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 3 अप्रैल, 2007

संख्या का० आ० 30/ह० अ० 30/1974/धा० 65/2007.—हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 29), की धारा 65 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), अधिसूचना संख्या का० आ० 107/ह० अ० 29/1974/धा० 65/2006, दिनांक 14 नवम्बर, 2006, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (संशोधन) नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।
2. ये नियम प्रथम जनवरी, 2006, से लागू हुये समझे जायेंगे।
3. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 में, नियम 50 में, उप-नियम (1) में, "तीन प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

आर० एन० पराशर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई विभाग, चण्डीगढ़।